

संख्याक २०३६/वि०-ब०

XI. (वि०)-102/2018

पुलिस महानिदेशक का कार्यालय, बिहार, पटना।

पटना, दिनांक :- 25-4-17

सेवा मे,

सभी वरीय पुलिस अधीक्षक,
सभी पुलिस अधीक्षक (रिज सहित),
बिहार।

प्रसंग :- पुलिस अधीक्षक, आर्थिक अपराध इकाई एवं साईबर क्राइम, बिहार, पटना का पत्रांक-451/सा०का०, दिनांक-03.09.14

विषय :- कॉपी राईट एक्ट के अनुपालन के संबंध में।

--00--

निदेशानुसार उपरोक्त प्रसारित विषयक सूचना है कि कॉपी राईट एक्ट का उन्मूलन कर आर्थिक/वित्तीय मामलों तथा फिल्म की कॉपीराईट विषय जैसे की पटना विगत दिने में प्रकाश में आयी है।

अतः निदेश विद्यमान है कि उपर सूचितों में कॉपी राईट एक्ट के उन्मूलनों का अनुपालन कड़ाई से करणी जाये तथा इस संबंध में "टी" विभिन्न सूत्रिक कर्मचारी एवं कैंसेट इन्वस्ट्रीज प्रा० लि० के प्राधिकृत कर्मचारी, श्री राम अशोक राम, जब तक की आपसे मिले तो उनके अपेक्षित सहयोग प्रदान करें एवं विधि-सम्मत कार्यवाई करें। श्री राम अशोक राम की सहायता प्रदान पत्र की प्रतिलिपि पत्र के साथ संलग्न है।

अनु० :- यकोपरि।

अपर पुलिस महानिदेशक (वि०-ब०)

बिहार, पटना।

प्रतिलिपि :- श्री राम अशोक राम, प्राधिकृत कर्मचारी, "टी" विभिन्न सूत्रिक कर्मचारी, कृष्ण कैंसेट इन्वस्ट्रीज प्रा० लि०, ६-२/१६, साईट हाउस, उत्तरी रोड, सहायक, नू दिल्ली-110 002 को सूचनाई प्रेषित।